न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

राजस्व निगरानी संख्या 46 / 21 वर्ष 2021

जीसीएमएस संख्या:– (2021 / 258)

बउनवानी:–1. गोविन्दराम पुत्र केसरा माली निवासी चेनपुरा तहसील चौथ का बरवाडा
2. रामस्वरूप पुत्र केसरा माली निवासी चेनपुरा तहसील चौथ का बरवाडा
3. चौथमल पुत्र केसरा माली निवासी चेनपुरा तहसील चौथ का बरवाडा
4. छोटू पुत्र केसरा माली निवासी चेनपुरा तहसील चौथ का बरवाडा

बनाम

1. प्रभू पुत्र पेमा माली निवासी चेनपुरा तहसील चौथ का बरवाडा
2. आवंटन अधिकारी, उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर
3. सरकार जरिये तहसीलदार चौथ का बरवाडा
4. सोनू कर्णावत पुत्र मूलचन्द जाति कंजर निवासी व तह0चौथ का बरवाडा तह0

(निगरानी प्रार्थना विरूद्व आवंटन आदेश दिनांक 12.06.2000 उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम,1970)

उपस्थितः– 1. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा वकील प्रार्थी
2. श्री श्रीदास सिहं वकील अप्रार्थी 4

–: निर्णय :– दिनांक 27.5.2025

निगरानी गुजरान द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र आवंटन सलाहकार समिति उप जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा किये गये कृषि भूमि आवंटन आदेश दिनांक 12.06.2000 के विरूद्व इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि कथित आवंटन आदेश अवैधानिक है जिसको खारिज फरमाया जावे।

निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया व विपक्षी को सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी। तत्पश्चात बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने दौराने बहस निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विवाद ग्रस्त भूमि साबिक ख0न0 93 रकबा 105 बीघा 15 विस्वा मे से एक बीघा भूमि पर प्रार्थीगणों का भौतिक कब्जा होते हुए भी प्रार्थीगणों को विवादित भूमि से वेदखल किये बिना ही आवंटन करने में अधीनस्थ न्यायालय ने घोर अनियमितता की है जबकि वास्तविकता यह है कि विवादित भूमि पर प्रार्थीगणो का अपने पूर्वजो के समय से ही भौतिक कब्जा काश्त चला आ रहा है। यह तर्क भी दिया कि ट्रेस के अनुसार हाल ख0न0 98 रकबा 2.69 है0 के पर हाल ख0न0 104 रकबा 1.26 है0 की भूमि स्थित है प्रार्थीगणों ने 50 वर्ष पूर्व पुख्ता कुए का निर्माण कराया था कुए का हाल ख0न0 97 रकबा 0.01 है0 दर्ज किया है विवादित भूमि हाल ख0न0 98 की मेड से मिली हुई है विपक्षी संख्या एक का आवंटन से लेकर आज तक कभी भी भौतिक कब्जा नही रहा है मात्र जमावन्दी में इन्द्राज होने के कारण विपक्षी संख्या एक प्रार्थीगणों के खेतो में स्थित कृषि भूमि ख0न0 104 रकबा 0.26 है0 को बिना किसी अधिकार के बैचने की धमकी दिये जाने के कारण प्रार्थीगणो की ओर से विवादग्रस्त आवंटन आदेश दिनांक 12.6.2000 को निरस्त करवाया जाना आवश्यक हो गया। आवंटन किये जाने से पूर्व आवंटन की जाने वाली भूमि की सार्वजनिक स्थान पर सूचना चस्पा नही की गयी है समस्त कार्यवाही एक पक्षीय की गयी है। विवादित भूमि ख0न0 98 व 104 को मौके पर एक खेत बना कर 25 वर्ष से तार फैंन्सिग कर रखी है ख0न0 104 मे 30 वर्ष पूर्व का कच्चा मकान भी बना हुआ था जो वर्तमान मे भंयकर बरसात के कारण गिर गया। विपक्षी संख्या एक ने एक पक्षीय रूप से प्रार्थीगणो के भौतिक कब्जे में चली आ रही कृषि भूमि साविक ख0न0 93 रकबा 1 बीघा को आवंटन करवा कर प्रार्थीगणो के कब्जे की भूमि हडपने का प्रयास किया है। अतः उक्त आवंटन आदेश इल्लीगल, इम्प्रोपर व इनकरेक्ट होने से निरस्त किये जाने योग्य होने के कारण प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश जैर निगरानी खारिज किये जाने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:12:36 IST
Reason: SelfAttested

.....(1).....

(शुभम चौधरी)
कलेक्टर
सवाईमाधोपुर

विद्वान वकील अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस कथन किया कि ख0न0 93 रकबा 105 बीघा 15 बिस्वा में प्रार्थीगण का एक बीघा भूमि पर कब्जा कहाँ है लाईन्मी है बल्कि विवादित भूमि पर कभी भी प्रार्थी का कब्जा नही रहा है। हाल ख0न0 104 का रकबा 1.26 है ना होकर सिर्फ 0.26 है0 है। तथा उक्त आराजी मे किसी प्रकार का कोई पुख्ता निर्माण या कुआ निर्मित नही है प्रार्थीगण का यह कथन भी गलत है कि ख0न0 98 रकबा 2.69 है0 से हाल ख0न0 104 रकबा 0.26 है0 बना है जो सम्भव नही है। दोनो रकबो में बहुत फर्क दर्शित किया है कुए का हाल खसरा नम्बर 97 रकबा 0.01 है0 दर्ज किया हो तो मुझ अप्रार्थी को कोई इल्म नही है ना ही खसरा नम्बर 97 में मुझ अप्रार्थी का कोई ताल्लुक व वास्ता है। विवादित आराजी ख0न0 104 रकबा 0.26 है0 को मुझ विपक्षी ने श्रीमति तारावती पत्नि देवीसिंह माली निवासी बयाना व श्रीमति केसर पत्नि श्योजी माली निवासी चैनपुरा तहसील चौथ का बरवाडा को विक्रय करके सुपुर्द किया जा चुका है। आवंटन की समस्त कार्यवाही सार्वजनिक रूप से की गयी है। मौके पर मुझ अप्रार्थी के करीब एक ट्रोली पत्थर खेत मे चारा घर बनाने के लिए पडे हुए है लेकिन पैसो के अभाव मे चारा घर का निर्माण नही कर सका। आवंटन की जानकारी दिनांक 5.9.2021 गलत दर्ज की गयी है क्योकि अप्रार्थी के पक्ष में हुए आवंटन की जानकारी प्रार्थी को शुरू से रही है। उक्त भूमि पर मुझ अप्रार्थी का शुरू से ही कब्जा होने के कारण ही उक्त भूमि आवंटित की गयी है तथा कब्जे के आधार पर ही जरिये नामा0 संख्या 283 दिनांक 22.11.2010 को गैर खातेदारी से खातेदारी प्रदान की गयी है। उक्त भूमि जरिये विक्रय पत्र दिनांक 17.8.2021 को तारावती एवं केसर को बैचान कर दिया था बाद में तारावती एवं केसर द्वारा उक्त भूमि सोनू कर्णावत अप्रार्थी संख्या 4 को विक्रय की जा चुकी है। इस प्रकार आवंटन आदेश दिनांक 12.6.2000 मे किसी प्रकार विधिक त्रुटि नही होने के कारण निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज कर आदेश जैर निगरानी यथावत रखने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा कथन किया।

विद्वान वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है, कि आवंटन पत्रावली के अनुसार आदेश जैर निगरानी से संबंधित विवादित भूमि साबिक ख0न0 93 रकबा 1 बीघा हाल ख0न0 104 रकबा 0.26 है0 पर आवंटी का आवंटन से पूर्व का कब्जा होने पर ही आवंटन किया जाकर दिनांक 26.7.2000 को आवंटित भूमि का दो गवाहो के समक्ष आवंटी को मौके पर कब्जा सम्भलाया गया है। प्रार्थी द्वारा विवादित भूमि पर अपने पूर्वजो के समय से कब्जा काश्त होने बाबत किया गया कथन इसलिए उचित नही है क्योकि प्रार्थी द्वारा पेश अन्य सबूतो के अभाव में यह माना जाना स्वाभाविक है कि विवादित भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त होने से संबंधित तथ्यों की जॉच करने के उपरान्त ही जरिये नामा0 संख्या 283 दिनांक 22.11.2010 से आवंटी प्रभू को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान किया गया है ओर यदि उक्त विवादित भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त रहा भी हो तो भी वह मात्र अतिक्रमी की श्रेणी मे ही आता है। इस प्रकार अप्रार्थी के पक्ष मे किये गये उक्त आवंटन आदेश मे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होने के कारण हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नही है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) खारिज किया जाकर आदेश जैर निगरानी यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.5.2025 को लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:12:36 IST
Reason: SelfAttested